



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उप मुख्य अभियंता वाणिज्य)

क्र. / अ.वि.वि.नि.लि. / उप.मु. अ.(वाणिज्य) / अधि.अभि.-II / फा.-५७ टी / २०१२ / प्रे. १५४ दिनांक : २४-४-२०१२

आदेश

विषय :- शीतलहर एवं पाला से प्रभावित कृषकों के लिए 4 माह के बिलों के भुगतान की राशि माफ करने वाबत्।

राज्य सरकार ने इस वर्ष शीतलहर एवं पाला से प्रभावित किसानों को राहत देने हेतु दिनांक 25.03.2012 को निम्न सहायता पैकेज घोषित किया है। इस संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

- (1) लघु एवं सीमांत कृषकों को जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है उनके चार बिलिंग माह दिसम्बर 2011, जनवरी 2012, फरवरी 2012 एवं मार्च 2012 के विद्युत बिलों की राशि माफ की जायेगी।
- (2) जिन काश्तकारों ने उक्त माहों के विद्युत बिलों की राशि जमा करवा दी है इस राशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जायेगा।
- (3) यह राहत पैकेज सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित उन कृषकों को भी दिया जा सकता है जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है किन्तु उन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है।

इस विषय में संबंधित अधिशासी अभियन्ता (पवस), जिला कलेक्टर से संपर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमांत काश्तकारों की ग्राम एवं उपमोक्तावार सूचना प्राप्त कर संबंधित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध कराएँगे। इस सूची के आधार पर ही संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा 4 माह के बिलों की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाए।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपमोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व) अजमेर डिस्ट्रॉक, अजमेर को प्रेषित की जाए। मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व) इस संबंध में उपमोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेंगे, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

यह आदेश अजमेर डिस्ट्रॉक के निदेशक मंडल के अनुसमर्थन (Subject to ratification) की दशा में प्रसारित किये जाते हैं।

X/८८ (२१) | Sh. Sunil


फॉर्म नं. १३२	दि. २६/४/१२
A.E. (IT) A.V.V.N.L., Ajmer	

आज्ञा से,

१८/२०१२
(जी.आर. चौधरी)
उप मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
2. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, उदयपुर / झूँझांनू।
3. मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा/अंकेक्षण/राजस्व), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
4. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम..... को अतिरिक्त.....
प्रतिलिपियों अधीनस्थ अधिकारियों को वितरण करने हेतु।
6. अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स/प्लान/एम.एम/आर.डी.पी.पी.सी./आई.टी.), अजमेर डिस्कॉम,
अजमेर / उदयपुर / जयपुर।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
8. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
9. श्री पी.एन. भंडारी, आई.ए.एस, (रिटल), जयपुर।
10. श्री डी.एस. अग्रवाल, रुद्राक्ष एनर्जी, जयपुर।
11. डॉ. के. एल. जैन, सचिव (Honorary), जयपुर।
12. सचिव जनरल उपभोक्ता यूनिटी एवं टर्स्ट सोसाइटी, जयपुर।
13. मुख्य विद्युत (जनरल) अभियन्ता, नार्थ वेस्ट रेल्वे, जयपुर।
14. राजस्थान विद्युत विकास संस्थान, जयपुर।
15. अधिशासी अभियन्ता,(), अजमेर डिस्कॉम.....
16. वरिष्ठ लेखाधिकारी,(), अजमेर डिस्कॉम.....
17. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
18. प्रभारी, विधि विभाग, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
19. प्रावेधिक सहायक, प्रबंध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
20. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर।
21. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
22. निजी सहायक, निर्देशक (वित्त/तकनीकी), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।



उप मुख्य अभियन्ता (बाणिज्य)